भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 143
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से रोजगार

143. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्तमान में कितने व्यवसायों में कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देशभर में कौशल विकास केन्द्रों में प्रशिक्षित युवाओं में से रोजगार प्राप्त युवाओं की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उद्योग अथवा स्वनियोजित युवाओं द्वारा प्राप्त की जा रही कुल औसत मासिक आय कितनी है; और

(घ) कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क से घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार, कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कैराना निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनः कौशलीकरण प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षरों, नव-साक्षरों और प्राथमिक स्तर की शिक्षा रखने वाले तथा 15-45 वर्ष की आयु-वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को, "दिव्यांगजन" और अन्य पात्र मामलों में उचित आयु में छूट के साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी अल्प आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में

उद्योग कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) : यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल तथा युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।

एमएसडीई की उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत जिन ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनकी संख्या निम्न प्रकार है:

स्कीम	**ट्रेडों की संख्या**
पीएमकेवीवाई	पीएमकेवीवाई 4.0 योजना के तहत 796 जॉब-रोल/ट्रेड हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जेएसएस	जेएसएस स्कीम के अंतर्गत 28 एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं।
एनएपीएस	265 निर्दिष्ट ट्रेड (डीटी) और 689 वैकल्पिक ट्रेड (ओटी) में शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सीटीएस	166 एनएसक्यूएफ संरेखित ट्रेडों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
सीआईटीएस	41 ट्रेडों में सीआईटीएस की पेशकश की जा रही है।

इस स्कीम के पहले तीन संस्करणों में एसटीटी घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिसे वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया है। पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22) के दौरान नियोजित उम्मीदवारों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में है।

कैराना निर्वाचन क्षेत्र (सहारनपुर और शामली जिले) में 28,736 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है और पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के दौरान 9,496 उम्मीदवारों को नियोजित किया गया है। कुशल युवाओं की मासिक आय विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि रोजगार/स्व-रोजगार का स्थान और क्षेत्र, अर्जित क्षमता का स्तर, अंशकालिक या पूर्णकालिक कार्य आदि। इसलिए, प्रतिनिधि मासिक आय का संकेत देना संभव नहीं है।

अनुबंध-I

'कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से रोजगार' के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के संदर्भ में

पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22) के दौरान नियोजित उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

टीसी राज्य	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	124	-	-
आंध्र प्रदेश	25,486	7,555	7,100
अरुणाचल प्रदेश	2,943	2,774	5,517
असम	19,374	9,926	11,754
बिहार	35,336	11,493	15,841
चंडीगढ़	1,661	1,851	402
छत्तीसगढ	9,724	1,222	568
दिल्ली	11,881	7,510	3,742
गोवा	198	17	47
गुजरात	32,230	10,911	2,073
हरियाणा	30,884	7,957	4,008
हिमाचल प्रदेश	10,101	2,021	1,580
जम्मू और कश्मीर	12,203	7,556	2,126
झारखंड	9,186	1,606	2,276
कर्नाटक	20,845	5,030	6,119
केरल	8,263	1,213	3,094
लद्दाख	877	67	-
लक्षद्वीप	-	-	-
मध्य प्रदेश	56,623	16,010	12,649
महाराष्ट्र	23,973	8,830	7,089
मणिपुर	6,127	4,661	3,064
मेघालय	3,166	1,604	4,871
मिजोरम	6,112	1,438	1,627
नगालैंड	879	2,836	763
ओडिशा	19,188	3,704	4,211
पुदुचेरी	4,684	2,128	748
पंजाब	29,599	17,251	9,537
राजस्थान	34,135	17,189	14,328
सिक्किम	1,313	1,479	893
तमिलनाडु	34,263	6,016	3,865
तेलंगाना	20,059	6,724	4,941
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,638	230	32
त्रिपुरा	4,035	1,420	2,468
उत्तर प्रदेश	84,198	29,901	17,547
उत्तराखंड	17,304	9,026	3,949
पश्चिम बंगाल	29,777	6,946	5,333

*****